उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

पत्रांकः पीआरपीबी–चार–10(15)/2021 (पार्ट–3)

दिनॉकः अगस्त 30 ,2022

विज्ञप्ति

चयन वर्ष 2020 की रिक्तियों के सापेक्ष समूह "घ" के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों के माध्यम से पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के रिक्त 164 पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति हेतु जारी बोर्ड की विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी–चार–10(15)/2021 दिनांक 24.06.2022 में आंशिक संशोधन (शुद्धि पत्र)

चयन वर्ष 2020 के सापेक्ष समूह "घ" से पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के 164 रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2016 (यथा संशोधित)" के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित है।

2– "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2016 (यथा संशोधित)" के नियम–6(1)(ख) में प्रावधान है कि पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) बीस प्रतिशत पदों को मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से **"परिशिष्ट–घ"** में विहित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

परिशिष्ट–(नियम–6(1)(ख)) –चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों हेतु विभागीय परीक्षा की प्रकिया :–

1– समस्त श्रेणी "घ" के पात्र कर्मियों को टंकण परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।

2– टंकण परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों से 100 अंको की लिखित परीक्षा देने की अपेक्षा की जोयगी। **लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे** । विभागाध्यक्ष के परामर्श से लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया जायेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची (Merit List) बनायी जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो उन अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो सेवा में ज्येष्ठ हों, आयु में ज्येष्ठ हों तथा फिर हाईस्कूल के प्रमाण–पत्र में अंग्रेजी वर्णमाला में यथा उल्लिखित प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर।

3– उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत चयन के अन्तर्गत टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु पाठयक्रम जारी किये जाने विषयक बोर्ड की विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी–चार–10(15)/2021 दिनांक 24.06.2022 में सहवन/त्रुटिवश *"लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होंगे"* अंकित हो गया है जिसे संगत सेवा नियमावली के प्रावधान के अनुसार संशोधित कर **"लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे"** पढा जाये।

4— चयन वर्ष 2020 के सापेक्ष समूह "घ" से पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के 164 रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु आयोजित अर्हकारी प्रकृति की टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 17.08.2022 को सम्पन्न हो चुकी है। लिखित परीक्षा के प्रश्न/उत्तर विकल्पों पर बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांकित 18.08.2022 के माध्यम से आपत्तियां आमंत्रित की गयी। तद्नुक्रम में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जा रही है। आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त अधियाचित रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड द्वारा **लिखित परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल प्राप्तांक के आधार पर नियमानुसार योग्यता सूची (Merit List) बनायी जायेगी।**

5— तद्नुसार पूर्व में जारी बोर्ड की उक्त दिनांक 24.06.2022 को संशोधित समझा/पढ़ा जाये।

30.8.2022

अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।